

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज          प्रेमराम सुथार बनाम लो.सू.अ. ( अपर कलक्टर द्वितीय जोधपुर )  <b>सू.अ.अ. अपील संख्या 05 / 2020</b></p>	<p>नं० व तारीख          अहकाम जो इस          हुक्म की तामील          में जारी हुए</p>
<p>27.01.20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रेमराम सुथार पता 121, मेन रोड़ आंगणवा, पोस्ट सुरपुरा, मण्डोर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.11.2019 में उसके द्वारा (1) मुख्य मंत्री प्रकोष्ठ शाखा जोधपुर में परिवाद संख्या 1107 की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर द्वितीय जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर कलक्टर द्वितीय जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपरिथत।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर द्वितीय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 844 दिनांक 10.01.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक सू.अ.अ./प्रा.सं. 526/19/1806 दिनांक 26.11.19 के संलग्न प्रेमराम सुथार का प्रार्थना पत्र होने पर दो बिन्दुओं पर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्रांक मुमंविप्र/सू.अ./2019/5995 दिनांक 29.11.19 के द्वारा सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर जोधपुर को भजवाई जा चुकी है। चूंकि अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा सूचना तैयार कर लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को भिजवाई जा चुकी है अतः लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 7 दिवस में सूचना प्रेषित करें। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	